राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2605/2025

अनूप कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.05.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा उपवन सरंक्षक, रेंज रावतसर, हनुमानगढ में किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2024 को रावतसर में कार्यग्रहण कर लिया था। उक्त आदेश पारित होने के मात्र 1 दिवस की अल्पावधि में आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण रेंज डीडवाना, उपवन संरक्षक, नागौर में किया गया, जिस आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 480/2024 में चुनौती दी थी, जिसे अधिकरण ने आदेश दिनांक 28.02.2024 पारित आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थगन आदेश जारी रहते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रेंज रावतसर, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ से रेंज डीडवाना, उप वन संरक्षक, नागौर हेतु स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुए रेंज रावतसर, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ में किया गया था। उक्त आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख 395/2025 में चुनौती दी थी, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2025 पारित किया गया।

अपीलार्थी को स्थगन आदेश प्राप्त होने के आधार पर निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.02.2025 के द्वारा रेंज टिब्बी, उप वन, संरक्षक, हनुमानगढ में किया गया। उक्त आदेश को निजी प्रत्यर्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2236/2025 में चुनौती दी थी। इसके उपरांत अधिकरण ने अपील संख्या 395/2025 एवं 2236/2025 दोनों अपीलों में आदेश दिनांक 02.04.2025 पारित कर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया था कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों के संबंध में नये सिरे से स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश पारित करें, तब तक दोनों कार्मिकों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 22.04.2025 (अनुलग्नक–1) पारित किया है, जिसके द्वारा नये सिरे से स्थानांतरण नहीं करते हुये अपीलार्थी को रेंज रावतसर उपवन संरक्षक हनुमानगढ से रेंज नोखा उपवन संरक्षक बीकानेर हेतु स्थानांतरणाधीन होना मानते हुए रेंज टिब्बी, उपवन संरक्षक हनुमानगढ में निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी को रेंज डीडवाना, उपवन संरक्षक नागौर से रेंज रावतसर, उपवन संरक्षक हनुमानगढ में स्थानांतरणाधीन मानते हुए अपीलार्थी के स्थान पर रेंज रावतसर में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित करने के लिए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी की स्वयं की इच्छा पर पदस्थापन करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो अवैध एवं अनुचित है।

3. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि पूर्व में इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–395/2025 अनूप कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अपील संख्या–2236/2025 सर्वजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत की गयी थी, उनका निस्तारण इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2025 के द्वारा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि दोनों अपीलार्थीगण मूल रूप से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये गये थे कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करें। अधिकरण के उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनूप कुमार शर्मा का स्थानान्तरण रेंज रावतसर, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ से रेंज शाखा, उप वन

संरक्षक, बीकानेर हेतु स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए रेंज टिब्बी, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ में किया गया है। हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिकरण के आदेश की पालना में किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। ऐसे में हम प्रशासनिक दृष्टि से किये गये उक्त स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष